## हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

### अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2016

**संख्या 2/10/2013–4 एफ. आर./1669.–** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भत्तों से सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

### अध्याय–I
### प्रारंभिक

**1.** (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये नियम दिनांक 19 जुलाई, 2016 से लागू समझे जायेंगे ।

**2.** ये नियम, अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे:– लागूकरण की सीमा।

(i) अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों;

(ii) सीमित अवधि के लिए केन्द्र या किसी अन्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से प्रतिनियुक्ति पर हरियाणा सरकार के अधीन विभाग में सेवा करने वाले कर्मचारियों।

**टिप्पण 1.–** अध्यक्ष, विधान सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन सहमत हो गए हैं कि जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (2) के अधीन राज्य विधानमण्डल द्वारा कोई विधि नहीं बनाई जाती है अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) के अधीन अध्यक्ष, विधान सभा के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ये नियम तथा इनमें संशोधन, यदि कोई हों, अध्यक्ष की पूर्व सहमति के बाद, हरियाणा विधान सभा के सचिवीय अमले को लागू होंगे।

**टिप्पण 2.—**अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दशा में समय–समय पर यथा संशोधित इन नियमों के लागूकरण से सहमत हो गए हैं।

**टिप्पण 3.—** यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है कि ये नियम किसी व्यक्ति को लागू होते हैं या नहीं, तो निर्णय वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा।

**3.** जब सक्षम प्राधिकारी की राय में, इन नियमों से असंगत विशेष प्रावधान किसी विशेष पद या सेवा की किसी शर्त के सन्दर्भ में अपेक्षित हों, तो वह प्राधिकारी, इन नियमों में दी गई किसी बात से अन्यथा होते हुए भी, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी मामले, जिसके संबंध में उस प्राधिकारी की राय में विशेष प्रावधान किए जाने अपेक्षित हैं, हेतु ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें उपबन्धित कर सकता है : इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध, यदि कोई हों।

परन्तु जहाँ किसी मामले के संबंध में नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों का विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, तो इन नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

**4.** किन्ही नियमों में, जब तक अन्यथा से उपबन्धित न हो, सरकारी कर्मचारी के दावे की हकदारी, दावे के अर्जन के समय पर लागू नियमों द्वारा विनियमित की जाएगी। सरकारी कर्मचारी के दावे का विनियमन।

**5.** इन नियमों के निर्वचन, परिवर्तन, संशोधन, छूट तथा संदेह दूर करने की शक्ति, वित्त विभाग में निहित होगी। निर्वचन, संशोधन तथा छूट करने की शक्ति।

**टिप्पण 1.–** इन नियमों के निर्वचन तथा परिवर्तन के संबंध में संसूचनाएं सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को सम्बोधित की जाएंगी।

**टिप्पण 2.**– जहाँ वित्त विभाग की सन्तुष्टि हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले इन नियमों का कोई लागूकरण किसी विशेष मामले में असम्यक् कष्टकारक है, तो यह ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्ययीन, जैसे यह न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति में मामले के संबंध में कार्रवाई करना आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से आदेश द्वारा अभिमुक्त कर सकता है या छूट दे सकता है।

शक्ति का पुनः प्रत्यायोजन।

**6.** इन नियमों के प्रयोजन के लिए प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष/नियुक्त प्राधिकारी उनकी अपनी जिम्मेवारी पर तथा ऐसे प्रतिबन्धों के अध्यधीन, जो वे अधिरोपित करना पसन्द करें, अपने मुख्यालय के कार्यालयों में उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों को शक्तियां पुनः प्रत्यायोजित कर सकते हैं। ऐसे सभी आदेशों की प्रतियां निरन्तर वित्त विभाग तथा प्रधान महालेखकार, हरियाणा को सप्लाई करनी चाहिए।

नियमों का निरसन तथा व्यावृत्ति।

**7.** पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द–I, भाग–I तथा II में अन्तर्विष्ट नियम, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं। इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कारवाई, इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कारवाई समझी जाएगी।

**********

## अध्याय–II
## परिभाषाएं

8. (क) जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; परिभाषाएं।

(1) "**प्रतिपूरक भत्ता**" से अभिप्राय है विशेष परिस्थितियों जिनमें कार्य किया गया है, द्वारा अनिवार्य वैयक्तिक खर्च को पूरा करने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय भत्ता। इसमें महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास किराया भत्ता, पहाड़ी प्रतिपूरक भत्ता इत्यादि शामिल है, किन्तु सत्कार भत्ता शामिल नहीं है;

(2) "**वाहन भत्ता**" से अभिप्राय है, ड्यूटी स्थान पर जाने तथा वापस आने के लिए भुगतान किया गया मासिक भत्ता;

(3) "**मंहगाई भत्ता**" से अभिप्राय है, प्रतिपूर्ति भत्ता, जो कीमतों में मुद्रास्फीति के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जाता है;

(4) निम्नलिखित की संगणना के प्रयोजन के लिए **"परिलाभों"** हेतु—

(क) असाधारण रूप से योग्य कर्मचारियों के लिए "**वाहन भत्ता"** से अभिप्राय है—

(i) वेतनमान में मूल वेतन; तथा

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य राशि।

(ख) "**मंहगाई भत्ता**" से अभिप्राय है—

(i) वेतनमान में मूल वेतन;

(ii) गैर–व्यवसाय भत्ते के अध्यधीन डाक्टरों तथा पशु चिकित्सकों को अनुज्ञेय गैर–व्यवसाय भत्ता जमा वेतन 85,000/– रुपये या समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित से अधिक न हों;

(iii) असाधारण रूप से योग्य कर्मचारियों के वाहन भत्ता; तथा

(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य राशि।

(ग) "**आवास किराया भत्ता**" से अभिप्राय है—

(i) वेतनमान में मूल वेतन;

(ii) गैर–व्यवसाय भत्ते के अध्यधीन डाक्टरों तथा पशु चिकित्सकों को अनुज्ञेय गैर–व्यवसाय भत्ता जमा वेतन 79,000/– रुपये या समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित से अधिक न हो;

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य राशि।

(घ) "**अनुज्ञप्ति फीस"** से अभिप्राय है—

(i) वेतनमान में मूल वेतन; तथा

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोजन के लिए परिलाभों के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत कोई अन्य राशि।

(5) "**पहाड़ी प्रतिपूर्ति भत्ता**" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहाड़ी स्थान के रूप में घोषित किसी स्थान पर पदस्थ किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय भत्ता;

(6) "**आवास किराया भत्ता**" से अभिप्राय है, सरकारी निवास स्थान के बदले में किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय प्रतिपूर्ति भत्ता;

(7) "**अनुज्ञप्ति फीस**" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी को आबंटित निवास स्थान के लिये उस द्वारा विहित दर पर भुगतान योग्य राशि;

(8) ''**स्थानीय दूरी भत्ता**'' से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी के क्षेत्र के भीतर या बाहर लोक हित में की गई किसी स्थानीय यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए अनुज्ञेय भत्ता;

(9) सरकारी आवास के संबंध में **"बाजार किराया"** से अभिप्राय है, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) हरियाणा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित किराया;

(10) ''**गैर–व्यवसाय भत्ता**'' वह भत्ता है जो निजी व्यवसाय के बदले में सरकारी कर्मचारियों के किसी विशिष्ट ग्रुप को प्रदान किया जाता है;

(11) आवास किराया भत्ते के प्रयोजन के लिए ''**अपना आवास**'' से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी के पति–पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता–पिता, दादा–दादी, सास–ससुर के नाम से आवास;

(12) ''**किराया निशुल्क आवास**'' से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को आवंटित आवास जिसके लिए उस द्वारा कोई भी अनुज्ञप्ति फीस भुगतानयोग्य नहीं है;

(13) **"सड़क दूरी भत्ता"** से अभिप्राय है, किसी सरकारी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोक हित में दौरे के दौरान हकदारी के अध्यधीन टैक्सी तथा आटोरिक्शा सहित अपने स्वयं के वाहन द्वारा की गई यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए अनुज्ञेय यात्रा भत्ता की किस्म;

(14) **"मानक किराया"** से अभिप्राय है, किराया जो सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन निवास या सरकारी कर्मचारियों के लिए बने पट्टे पर दिए गए निवास की पूंजी लागत के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संगणित तथा विहित किया गया है;

(15) **"वर्दी भत्ता"** वह भत्ता है जो सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय वर्दी मदों के बदले में दिया जाता है।

(ख) इस अध्याय में नहीं परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम में परिभाषित किए गए शब्दों का अर्थ इन नियमों के लिए वही होगा ।

**********

## अध्याय–III

## विभिन्न भत्ते तथा उसके सिद्धांत

**9.** जब तक अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, भत्ते निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विनियमित किए जाएंगेः– भत्ते देने के लिए सामान्य सिद्धांत।

(1) भत्ते प्रदान करना इस प्रकार विनियमित किए जाएंगे कि यह प्राप्तकर्ता के लाभ का सम्पूर्ण स्त्रोत नहीं होगा।

(2) **पद से संलग्न भत्ता (भत्ते) –**

(i) सरकारी कर्मचारी द्वारा वास्तव में उस पद के कर्त्तव्यों को करने के लिए प्राप्त किया जाएगा/किए जाएंगे तथा किसी अन्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा/किए जाएंगे;

(ii) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसे पद का प्रभार छोड़ने के शीघ्र बाद प्राप्त किया जाना बन्द हो जाएगा/जाएंगे।

**टिप्पण 1.–** यात्रा भत्ते देना हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 द्वारा विनियमित किया जाएगा।

**टिप्पण 2.–** राज्यपाल के निजी अमले को प्रतिपूर्ति भत्ते (सैनिक अधिकारियों सहित, यदि कोई हों), भारत सरकार (राज्यपाल भत्ते तथा विशेषाधिकार) आदेश, 1950 द्वारा विनियमित किए गए हैं।

**10.** (1) असाधारण अवकाश के सिवाए, किसी किस्म के अवकाश की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित के लिए हकदार होगा– अवकाश के दौरान भत्तों की हकदारी।

(क) मकान किराया भत्ता;

(ख) पहाड़ी क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता, यदि कोई हो;

(ग) नियत चिकित्सा भत्ता, यदि कोई हो; तथा

(घ) बालक शिक्षा भत्ता, यदि कोई हो ।

(2) असाधारण अवकाश के दौरान, सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित के लिए हकदार होगा–

(क) प्रथम 180 दिन के लिए मकान किराया भत्ता;

(ख) प्रथम 180 दिन के लिए पहाड़ी क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता, यदि कोई हो;

(ग) नियत चिकित्सा भत्ता, यदि कोई हो; तथा

(घ) बालक शिक्षा भत्ता, यदि कोई हो ।

उपरोक्त भत्तों की दर उसी स्थान की दर के समकक्ष किसी सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय होगी, जहां वह अवकाश पर अग्रसर होने से पूर्व कार्य कर रहा था, तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि अवकाश की अवधि के दौरान वह या उसके परिवार का कोई सदस्य मुख्यालय पर रहा है या नहीं।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित भत्ते भी पूर्ण दर पर अनुज्ञेय होंगे यदि अवकाश के दौरान अवकाश वेतन पूर्ण वेतन के समकक्ष है तथा आधी दर पर या आधे मूल वेतन पर, यदि अवकाश के दौरान अवकाश वेतन आधे वेतन के समकक्ष हैः–

(क) चिकित्सकों को गैर–व्यवस्था भत्ता;

(ख) ग्रुप घ कर्मचारी को साईकिल भत्ता;

(ग) स्वीपर को विशेष भत्ता;

(घ) दौहरा प्रभार धारण करने वाले ग्रुप घ कर्मचारियों को विशेष भत्ता;

(ङ.) प्रतिनियुक्ति भत्ता, यदि कोई हो।

**टिप्पण.–** कोई भी वाहन भत्ता लम्बी छुट्टी के दौरान तथा उन दिनों के लिए, जिसके लिए किसी किस्म का अवकाश मास के दौरान उपभोग किया गया है, अनुज्ञेय नहीं होगा। तथापि, आकस्मिक अवकाश के दौरान, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाएगा, इसलिए वह ड्यूटी के समय अनुज्ञेय पूर्ण वेतन तथा भत्तों का हकदार है।

**11.** पदग्रहण काल के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी को, वाहन भत्ते के सिवाए, मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्ते पुराने या नए स्थान पर, जो भी कम हो, उसको अनुज्ञेय दर पर प्रदान किया जाएगा। पदग्रहण काल के दौरान भत्ते देना।

अस्थाई स्थानान्तरण के दौरान भत्ते देना।

**12.** अस्थाई स्थानान्तरण के दौरान, मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्ते उसी दर पर दिए जाएंगे जो किसी सरकारी कर्मचारी को मुख्यालय पर, जहां से उसका वेतन तथा भत्ते प्राप्त किए जा रहे हैं, अनुज्ञेय हो।

महंगाई भत्ते की हकदारी।

**13.** किसी वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाला सरकारी कर्मचारी ऐसी दर पर तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन महंगाई भत्ते के लिए हकदार होगा जो सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें ।

**टिप्पण.–** प्रथम जनवरी, 1986 से आगे विद्यमान महंगाई भत्ते की दरें इन नियमों के अनुबन्ध 'क' पर है।

मकान किराया भत्ता देना।

**14.** (1) इन नियमों में अन्यथा उपबिन्धत के सिवाए, किसी सरकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित दर पर मकान किराया भत्ता दिया जाएगा, बशर्ते कि यह कलैण्डर वर्ष में एक बार या मुख्यालय के परिवर्तन के समय पर विहित प्ररूप में उस द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि वह सरकारी आवास या उसे आवंटित किराया निःशुल्क आवास या हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में पदस्थ उसके परिवार का कोई सदस्य उसके तैनाती के स्थान की नगरपालिका की बाहरी सीमा से बीस किलोमीटर सीमा तक के स्थान पर निवास नहीं कर रहा है।

(2) किसी सरकारी कर्मचारी का मकान किराया भत्ता निम्नलिखित दर पर अवधारति किया जाएगाः–

(क) तैनाती स्थान, यदि वह तैनाती स्थान के शहर की नगरपालिका सीमाओं की बाहरी सीमा से बीस किलोमीटर सीमा तक में निवास कर रहा है ।

(ख) तैनाती या वास्तविक निवास का स्थान, जो भी कम हो, यदि वह ऐसे स्थान पर निवास कर रहा है जो तैनाती स्थान की नगरपालिका सीमाओं की बाहरी सीमा से बीस किलोमीटर अधिक दूरी पर है,

तथ्यों को ध्यान में रखे बिना कि वास्तविक निवास पड़ोसी राज्य के क्षेत्र में है।

**टिप्पण.–** किराये के मकान में रहने वाला सरकारी कर्मचारी भुगतान किए गए वास्तविक किराये की राशि तक या इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय दर पर, जो भी कम हो, मकान किराया भत्ते का हकदार होगा।

**(3) वर्तमान में मकान किराये भत्ते की दर (दरें) निम्नलिखित हैं :–**

| क्रम संख्या | तैनाती स्थान या वास्तविक निवास के शहर/नगर की 2011 की जनगणना | शहरों/नगरों का वर्गीकरण | परिलाभों (गैर–व्यवसाय भत्ते सहित) के प्रतिशत के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरें |
|---|---|---|---|
| 1. | 50 लाख तथा से अधिक | एक्स | 30 प्रतिशत |
| 2. | 5 लाख किन्तु 50 लाख से कम | वाई | 20 प्रतिशत |
| 3. | 5 लाख से कम | ज़ैड | 10 प्रतिशत |

**टिप्पण.–** मकान किराया भत्ता सभी को अनुज्ञेय होगा यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य एक मकान में तथा अपने मकान में इकट्ठे रह रहे हैं।

**प्रमाण–पत्र**

1. मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी तैनाती स्थान की नगरपलिका की बाहरी सीमाओं से 20 किलोमीटर सीमा तक हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन द्वारा मुझे या मेरी पत्नी/मेरे पति को कोई सरकारी आवास या किराया निःशुल्क आवास आवंटित नहीं किया गया है।
2. मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं मेरे तैनाती स्थान की नगरपलिका की बाहरी सीमाओं से 20 किलोमीटर सीमा तक हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन द्वारा मेरे परिवार के किसी सदस्य को आवंटित सरकारी आवास या किराया निःशुल्क आवास में नहीं रह रहा/रही हूं।
3. मैं, प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं किराये के मकान में रह रहा/रही हूं तथा मैंने मकान नम्बर ...................... गली ......................... सेक्टर ..........................................शहर ......................... के लिए .........................के मास के लिए किराये के रूप में ......................... रुपये का भुगतान किया है।
4. मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं अपने मकान अर्थात् मेरे पति/पत्नी/ पुत्र/पुत्री/माता–पिता/दादा–दादी/सास–ससुर द्वारा स्वामित्वाधीन मकान नम्बर .................. सेक्टर/गली................. शहर ........................... में रह रहा/ रही हूं।

तिथिः ................................... (हस्ताक्षर)...............................................

(पदनाम)........................................................

**15.** कोई सरकारी कर्मचारी जिसे, स्थानान्तरण पर, पुराने स्थान पर सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है, नए स्थान के सम्बन्ध में मकान किराया भत्ते का हकदार होगा, यदि अन्यथा अनुज्ञेय हो, तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि क्या उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा साधारण किराये या शास्ति किराये के भुगतान पर पुराने स्थान पर सरकारी आवास, यदि कोई हो, को रखने की अनुमति दी गई है। स्थानान्तरण पर मकान किराया भत्ते की हकदारी।

**16.** सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार निम्नलिखित के लिए हकदार होगा– सेवा के समय मृत्यु के मामले में मकान किराया भत्ता।

(क) मृत्यु से ठीक पूर्व प्राप्त दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए मकान किराया भत्ता; या

(ख) साधारण अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर एक वर्ष के लिए सरकारी आवास रखने।

**टिप्पण.–** जहाँ सरकारी आवास एक वर्ष से पूर्व उनकी अपनी स्वेच्छा से मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा खाली कर दिया गया है, तो कोई भी मकान किराया भत्ता शेष अवधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा।

**17.** अनुशासनिक कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध प्रारम्भ की जाएगी तथा उसे हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के अधीन निम्नलिखित पर बड़ा दण्ड दिया जाएगाः– मकान किराया भत्ते की कपटपूर्ण प्राप्ति पर अनुशासनिक कार्रवाई।

(i) मकान किराया भत्ते को अधिक या कपटपूर्ण प्राप्त करना;

(ii) सरकारी आवास को उप–किराये पर देना;

(iii) उसको या उसके परिवार के सदस्य को आवंटित सरकारी आवास (भागतः या अन्यथा) का लाभ उठाना तथा अपने विभाग से मकान किराया भत्ता भी प्राप्त करना।

**18.** (1) पहाड़ी–क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता समय–समय पर विहित दर (दरों) पर मोरनी के पहाड़ी क्षेत्र में सेवारत सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा । वर्तमान में इस भत्ते की दर न्यूनतम 200/– रुपये तथा अधिकतम 400/–रुपये प्रतिमास के अध्यधीन मूल वेतन का 5 प्रतिशत है। पहाड़ी क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता देना।

(2) गांवों की सूची जो मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में पड़ते हैं, निम्न अनुसार हैंः–

| क्रम संख्या | गांव का नाम | क्रम संख्या | गांव का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | भौज कुदाना | 9 | भौज जब्याल |
| 2 | भौज पनवाता | 10 | भौज थारड़ा |
| 3 | भौज पलासरा | 11 | भौज जाटीपुरा |
| 4 | भौज राजपुरा | 12 | भौज कोठी |
| 5 | भौज मटोर | 13 | भौज भागल |
| 6 | भौज घारड़ी | 14 | भौज कोटी |
| 7 | भौज नांगल | 15 | सक्षम प्राधिकारी द्वारा मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में घोषित किए जाने वाला कोई अन्य गांव। |
| 8 | भौज नियाता | | |

**19.** वर्दी के बदले में, समय–समय पर विहित दर पर वर्दी भत्ता ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगा जिनके लिए ड्यूटी समय के दौरान वर्दी पहनना उनके सेवा के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार अनिवार्य है। इसका भुगतान अस्थाई स्थानान्तरण के दौरान किया जाएगा किन्तु निलम्बन, अवकाश तथा पदग्रहण काल के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा। वर्दी भत्ता देना।

**20.** साईकिल भत्ता 100/– रुपये प्रतिमास की दर पर या समय–समय पर विहित दर पर सभी ग्रुप 'घ' सरकारी कर्मचारियों को, तथ्य को ध्यान में रखे बिना, अनुज्ञेय होगा कि क्या उन्हें सरकारी खर्च पर मरम्मत सहित सरकारी साईकिल उपलब्ध कराई गई है या नहीं। ग्रुप घ कर्मचारियों को साईकिल भत्ता देना।

**टिप्पण 1.–** यह भत्ता असाधारण अवकाश के सिवाए किसी किस्म के अवकाश के दौरान भी अनुज्ञेय होगा।

**टिप्पण 2.–** ग्रुप घ के विकलांग–विज्ञान रूप से अपंग (ओरथोपैडिकली हैण्डिकैपड) सरकारी कर्मचारी साईकिल भत्ता तथा वाहन भत्ते दोनों प्राप्त करने के हकदार होंगे।

कतिपय ग्रुप 'घ' कर्मचारियों को विशेष भत्ता।

**21.** (1) **स्वीपर या सफाई कर्मचारी–**

350/– रुपये प्रतिमास की दर पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर, विहित दर पर स्वीपर या सफाई कर्मचारी को विशेष भत्ता अनुज्ञेय होगा।

(2) **सेवादार–एवं–चौकीदार–**

सेवादार–एवं–चौकीदार, सेवादार–एवं–माली, चौकीदार–एवं–माली के दोहरे पद धारण करने वाले सभी ग्रुप घ कर्मचारी 200/– रुपये प्रतिमास की दर पर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर, विहित दर पर विशेष भत्ते के हकदार होंगे।

**टिप्पण.–** असाधारण अवकाश के दौरान यह भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा विकलांग सरकारी कर्मचारियों को वाहन भत्ता।

**22.** (1) नियमित आधार पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी, जिसे निम्नानुसार घोषित किया गया है–

(i) नेत्रहीन या सरकारी सिविल अस्पताल के नेत्रविज्ञान विभाग के अध्यक्ष द्वारा दोनों आंखे में कम से कम 10 क्षेत्रीय दृष्टि की 3/60 से कम दृष्टि वाला; या

(ii) किसी सरकारी सिविल अस्पताल के विकलांग–विज्ञान विभाग के अध्यक्ष द्वारा या तो ऊपरी या नीचले अंग कम से कम 40 प्रतिशत स्थाई आंशिक अशक्तता सहित विकलांग–विज्ञान रूप से अपंग (ओरथोपेडिकली हैण्डिकैप्ड); या

(iii) किसी सरकारी सिविल अस्पताल के विकलांग–विज्ञान विभाग के अध्यक्ष द्वारा साथ–साथ दोनों ऊपरी तथा नीचले अंग की सम्पूर्ण कम से कम 50 प्रतिशत स्थाई आंशिक अशक्तता सहित विकलांग–विज्ञान रूप से अपंग (ओरथोपेडिकली हैण्डिकैप्ड); या

(iv) किसी सरकारी सिविल अस्पताल के विकलांग–विज्ञान विभाग के अध्यक्ष द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक की स्थाई आंशिक अशक्तता के कारण स्पाइनल (मेरुदण्डीय) विकलांगता से पीड़ित,

इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, न्यूनतम 1,000/– रुपये तथा अधिकतम 2,000/– रुपये प्रतिमास के अध्यधीन मूलवेतन के 10 प्रतिशत या समय–समय पर यथा विहित दर पर वाहन भत्ते का हकदार होगा। वर्तमान दर पर महंगाई भत्ता भी वाहन भत्ते पर अनुज्ञेय होगा ।

(2) निम्नलिखित को कोई भी वाहन भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा–

(i) एक आंख (आंशिक रूप से नेत्रहीन) वाला सरकारी कर्मचारी; या

(ii) वे जो इन नियमों के अधीन आते हैं, किन्तु कार्यालय तथा निवास के बीच यात्रा करने के लिए सरकारी खर्च पर वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

**टिप्पण.–** अशक्तता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, अमेरिकन विकलांग–विज्ञान सर्जन एकेडमी, यू. एस.ए. द्वारा प्रकट तथा भारत की कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, जी.टी.रोड़, कानपुर द्वारा उनकी ओर से प्रकाशित स्थाई शारीरिक हानि का मूल्यांकन करने में विकलांग–विज्ञान सर्जन के लिए नियमावली में यथा अन्तर्विष्ट मानक लागू होंगे।

नेत्रहीन तथा विकलांग–विज्ञान रूप में अपंग (ओरथोपेडिकली हैण्डिकैपड) सरकारी कर्मचारी को वाहन भत्ता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा प्रक्रिया।

**23.** (i) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी का मामला सरकारी सिविल अस्पताल के नेत्रहीन विभाग या विकलांग–विज्ञान के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को उसे वाहन भत्ता देने के लिए उनकी सिफारिश प्राप्त करने हेतु भेजेगा। यदि उसे अशक्तता की विहित डिग्री का नेत्रहीन या विकलांग विज्ञान रूप से अपंग घोषित किया गया है, तो उसे उचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र की तिथि से वाहन भत्ता दिया जाएगा;

(ii) उचित चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त करने के लिए की गई यात्रा हेतु सरकारी कर्मचारी को यात्रा भत्ता अनुज्ञेय होगा;

(iii) सरकारी अस्पताल द्वारा प्रभारित फीस, यदि कोई हो, प्रतिपूर्तियोग्य होगी;

(iv) चिकित्सा जांच प्राप्त करने के लिए तथा प्रयोजन के लिए की गई यात्रा के लिए भी बिताई गई अवधि ड्यूटी के रूप में समझी जाएगी।

**24.** (1) चिकित्सा अधिकारियों को वाहन भत्ता – अन्य सरकारी कर्मचारी को वाहन भत्ता।

चिकित्सा अधिकारियों को 500/– रुपये प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता, जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जा सकता है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञेय होगा:–

(i) 60 बिस्तर या से अधिक के अस्पतालों में कार्य करने वाले केवल विशेषज्ञ ही इस भत्ते के हकदार होंगे;

(ii) इन विशेषज्ञों को प्राईवेट आवास में अस्पताल के कैम्पस के बाहर निवास करना चाहिए। इस प्रकार अर्जित आवास अस्पतालों से कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए;

(iii) केवल ऐसे विशेषज्ञ ही वाहन भत्ते के लिए हकदार होंगे जिन्हें प्रायः आपातकालीन ड्यूटियों के लिए बुलाया जाता है।

(2) **निजी सहायक तथा निजी सचिवों को वाहन भत्ता –**

विभागाध्यक्ष के साथ या हरियाणा सिविल सचिवालय में तैनात निजी सहायक तथा निजी सचिव, सचिवों इत्यादि को 500/–रुपये प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता, जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जा सकता है, अनुज्ञेय होगा।

**टिप्पण.–** कोई भी वाहन भत्ता उन कर्मचारियों को अनुज्ञेय नहीं होगा जिन्हें कार्यालय तथा निवास के बीच यात्रा के लिए सरकारी वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

**25.** (क) **सेवा में सरकारी कर्मचारी के बालकों के लिए –** बालक शिक्षा भत्ता की हकदारी।

सरकारी कर्मचारी, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में तिमाही रूप से स्वतः सत्यापित प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर, बालक शिक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो टयूशन फीस, दाखला फीस, प्रयोगशाला फीस, पुस्तकालय फीस, खेल/क्रीड़ा फीस, पाठ्य पुस्तकों तथा नोटबुकों, वर्दी इत्यादि की खरीद पर खर्च के बदले में तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय होगी:–

(1) यह भत्ता पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन करने सहित, किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/संस्था से नर्सरी से बारहवीं (+2 स्तर)तक या 10वीं कक्षा के बाद किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दो वर्ष तक प्रथम दो ज्येष्ठ बालकों की शिक्षा के लिए 750/– रुपये प्रतिमास (या 9000/–रुपये प्रतिवर्ष) प्रति बालक की दर पर अनुज्ञेय होगा।

***टिप्पण.–*** *"नर्सरी" से अभिप्राय है, नामवली को ध्यान में रखे बिना कक्षा–I से पूर्व की दो कक्षाएं।*

(2) जहां बालकों की संख्या दूसरे बालक के जन्म के समय जुड़वां या बहुविध के परिणामिक के अनुसार अधिक हो जाती है, तो उन सभी को इन नियमों के प्रयोजन के लिए ज्येष्ठ दो बालकों में शामिल किया जाएगा।

(3) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के अपने परिवार में दो से ज्यादा बालक हैं, तो एक बालक से दूसरे को बदलना अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) यह भत्ता 20 वर्ष की आयु पूरी करने की तिथि तक या 10+2 कक्षा तक, जो भी पहले हो अनुज्ञेय होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि बालक किसी विशेष कक्षा में असफल हो जाता है।

(5) जहां शारीरिक/मानसिक रूप से अपंग पात्र बालक केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायताप्राप्त या अनुमोदित किसी संस्था में अध्ययन करता है या जिसकी फीस इन प्राधिकरणों में से किसी एक द्वारा अनुमोदित है, तो यह भत्ता बालक की 22 वर्ष की आयु तक या + 2 कक्षा पास करने के समय तक, जो भी पहले हो, अनुज्ञेय होगा।

(6) यह त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक प्राप्त किया जा सकता है।

(7) जहां पति तथा पत्नी दोनों किसी विभाग/संगठन (किसी सरकार के नियन्त्रणाधीन है या नहीं) में सेवा में हैं, जहां उनके कर्मचारियों के लिए बालक शिक्षा भत्ता की कोई स्कीम है, तो उनमें से केवल एक अपने सम्बद्ध विभाग/संगठन से बालक शिक्षा भत्ता ले सकता है/सकती है। इस आशय का घोषणा स्वतः सत्यापित प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति के समय पर सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी कि मेरे पति/पत्नी ने दावा नहीं किया है तथा न ही ऐसे भत्ते का दावा करेगा/करेगी।

(8) यह अवकाश या निलम्बन की अवधि के दौरान पात्र सरकारी कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगा।

(9) आहरण तथा संवितरण अधिकारी बालक शिक्षा भत्ता निकालने तथा वितरण करने के लिए सक्षम होगा। खर्च लक्ष्य कोड '01–वेतन' में प्रभारित किया जाएगा।

(ख) **मृतक सरकारी कर्मचारी के बालकों के लिए –**

सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में, प्रथम दो बालकों के लिए बालक शिक्षा भत्ता भी, पात्रता के अध्यधीन, ऐसे समय तक अनुज्ञेय होगा मानो कि मृतक सरकारी कर्मचारी वास्तव में उसे प्राप्त करता यदि वह जीवित होता, बशर्ते कि मृतक सरकारी कर्मचारी का पति/पत्नी भारत सरकार सहित किसी सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी विभाग/संगठन में नियोजित नहीं है। उसके बाद सरकारी संस्था की फीस के बराबर या वास्तव में भुगतान ट्यूशन फीस तथा प्रयोगशाला फीस, के मद्द फीस, जो भी कम हो, प्रथम दो बालकों के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी जो डिग्री स्तर तक सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यताप्राप्त महाविद्यालय/संस्था में अध्ययन कर रहे हैं।

**टिप्पण.**– खर्च लक्ष्य कोड '79–अनुग्रहपूर्वक' में प्रभारित किया जाएगा।

गैर–व्यवसाय भत्ता देना।

**26.** सरकारी कर्मचारियों के विशिष्ट प्रवर्गों को अनुज्ञेय गैर–व्यवसाय भत्ता निम्नानुसार विनियमित होगा :–

गैर–व्यवसाय भत्ता मूल वेतन की 25 प्रतिशत की दर पर या समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित दर पर अनुज्ञेय होगा, बशर्ते मूल वेतन जमा गैर–व्यवसाय भत्ता सहित विहित सीमा से अधिक नहीं होगा जो इस समय 85,000/–रुपये प्रतिमास है।

पुनः नियोजन की अवधि के दौरान भत्ते।

**27.** सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन के निबन्धनों तथा शर्तों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, यदि वेतन निम्नलिखित वेतनमान में नियत किया गया है–

(1) मकान किराया भत्ता निम्न अनुसार परिकलित किया जाएगाः–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | यदि सम्पूर्ण पेंशन की उपेक्षा नहीं की गई है। | पुनः नियोजित पद के वास्तविक मूल वेतन + उपेक्षित नहीं की गई पेंशन के भाग पर मकान किराया भत्ता |
| (ii) | यदि सम्पूर्ण पेंशन की उपेक्षा की गई है। | पुनः नियोजित पद के मूल वेतन पर मकान किराया भत्ता। |

(2) महंगाई भत्ता पेंशन तथा पुनः नियोजन पद के वास्तविक मूल वेतन पर अलग से अनुज्ञेय होगा।

(3) यात्रा भत्ता धारण पद के वेतनमान के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

(4) अन्य भत्ते पुनः नियोजित पद के वास्तविक मूल वेतन जमा वेतन के निर्धारण के समय पर उपेक्षित नहीं की गई पेंशन के भाग पर अनुज्ञेय होंगे।

**उदाहरण.–** श्रीमान 'क' अधिवर्षिता के बाद सेवा में पुनः नियोजित था। उस द्वारा प्राप्त अन्तिम मूल वेतन 40,000/– रुपये था तथा उसकी मूल पेंशन 20,000/– रुपये नियत की गई है। उसे उसके अन्तिम धारित पद पर या उसी वेतनमान के किसी अन्य पद पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः नियोजित किया गया था तथा उसका अन्तिम प्राप्त वेतन घटा पेंशन (अर्थात् 40,000/– रुपये घटा 20,000/– = 20,000/– रुपये) नियत किया गया था। पुनः नियोजन की अवधि के दौरान वह 20,000/– रुपये पर महंगाई भत्ते का हकदार होगा किन्तु 40,000/– रुपये पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा। वह पेंशन पर अलग से महंगाई राहत भी प्राप्त करेगा। यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए वह वही प्राप्त करने का हकदार होगा जो 40,000/– रुपये प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी को अनुज्ञेय है।

*********

## अध्याय–IV

## सरकारी आवास की अनुज्ञप्ति फीस तथा किराये की वसूली

**28.** (1) हरियाणा या किसी अन्य सरकार के सरकारी कर्मचारी जिन्हें हरियाणा सरकार के विभाग के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन सेवा करने के समय सरकारी आवास आवंटित किया गया है, से अनुज्ञप्ति फीस, निम्नलिखित दर से या सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित की गई दर से वसूल की जाएगीः– सरकारी आवास की अनुज्ञप्ति फीस।

| क्रम संख्या | मकान का वर्ग | अनुज्ञप्ति फीस की राशि |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | **वर्ग–1** | 200 रुपये |
| 2 | **वर्ग–2** | 300 रुपये |
| 3 | **वर्ग–3** | 400 रुपये |
| 4 | **वर्ग–4** | 500 रुपये |
| 5 | **वर्ग–5** | 1,000 रुपये |
| 6 | **वर्ग–6** | 1,500 रुपये |

**व्याख्या.–** अनुज्ञप्ति फीस सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को आवंटित मकान/सरकारी आवास के प्रवर्ग को ध्यान में रखते हुए विहित दर पर वसूल की जाएगी।

(2) जब अन्य सरकार का सरकारी कर्मचारी उसके मूल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए आवास में रहता है, तो वह मकान किराये भत्ते का हकदार नहीं होगा। अनुज्ञप्ति फीस सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की मकान किराया भत्ते की राशि के समकक्ष + अनुज्ञप्ति फीस मूल सरकार को भुगतान की जाएगी जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के वेतन से वसूल की जाएगी यदि उसे हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी आवास आवंटित किया गया होता।

(3) यदि अन्य स्थान पर स्थानान्तरण या उसकी मूल सरकार में वापस लौटने पर, हरियाणा सरकार द्वारा आबंटित आवसीय आवास विहित अवधि तक सरकारी कर्मचारी द्वारा खाली नहीं किया गया है, तो समय–समय पर यथा विहित शास्ति किराया उसके मूल विभाग/सरकार के माध्यम से सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल किया जाएगा।

**29.** जहां हरियाणा सरकार का कर्मचारी रेलवे प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए आवास में रहता है या रेलवे अधिकारी हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए आवसीय आवास में रहता है, तो वह मकान किराये भत्ते का हकदार नहीं होगा। अनुज्ञप्ति फीस सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के मकान किराये भत्ते की राशि के समकक्ष + अनुज्ञप्ति फीस रेलवे प्रशासन को भुगतान की जाएगी, या से वसूल की जाएगी जिसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के वेतन से वसूल किया जाएगा यदि उसे हरियाणा सरकार या रेलवे प्रशासन, जैसे भी स्थिति हो, द्वारा सरकारी आवास आवंटित किया गया होता। रेलवे प्रशासन द्वारा या विलोमतः मकान के आवंटन पर अनुज्ञप्ति फीस।

**30.** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, सरकारी कर्मचारी को आबंटित आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस/किराये के अपेक्षित भुगतान के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, जिसे विधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे भुगतान से छूट दी गई या जिसके मामले में इस प्रकार भुगतानयोग्य राशि तत्समय लागू विधि द्वारा विहित है। छूट विहित समय तक लागू होगी, उसके बाद शास्ति किराया जितना भी लागू हो वसूल किया जाएगा। अनुज्ञप्ति फीस का न दिया जाना यदि किसी विधि के अधीन छूट प्राप्त है।

**31.** (i) अनुज्ञप्ति फीस तथा किराये के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन भवन की पूंजीगत लागत लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के), हरियाणा द्वारा उस समय लागू प्रचलित मानकों के अनुसार निकाली जाएगी। अनुज्ञप्ति फीस तथा किराये के निर्धारण के लिए भवन की पूंजीगत लागत।

(ii) किराया तथा अनुज्ञप्ति फीस के निर्धारण के लिए पूंजीगत लागत पांच वर्ष की अवधि के बाद संशोधित की जाएगी।

**32.** जब सरकारी आवास तथा स्थल का जिस पर यह खड़ा है, के वर्तमान मूल्य के लिए कलैक्टर की दर (दरें) अज्ञात है; तो आवास का तथा स्थल का मूल्य उस समय पर लागू अभिभावी मानकों के अनुसार लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अलग से अनुमानित होंगी। सरकारी आवास का मूल्यांकन।

आवासों का पुनमूल्यांकन।

**33.** सक्षम प्राधिकारी विशेष कारण अभिलिखित करते हुए इन नियमों के अधीन परिकलित विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी या सभी आवासों की पूंजीगत लागत का मूल्यांकन किसी समय पर कर सकता है।

स्वच्छता तथा जल तथा बिजली की आपूर्ति का मूल्यांकन।

**34.** भवन की लागत निर्धारित करते समय, सफाई, स्वच्छता, जल आपूर्ति तथा विधुत प्रतिष्ठापन की लागत का निर्धारण भी शामिल होगी।

सरकार द्वारा पट्टा पर लिया गया आवास या स्वामित्वाधीन आवास के मानक किराये की गणना।

**35.** सरकार द्वारा पट्टा पर लिया गया आवास या स्वामित्वाधीन आवास का मानक किराया लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा, जिसकी अधिकारिता के अधीन भवन अवस्थित है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तथा नियत किया जाएगा ।

मानक किराये का संशोधन।

**36.** इन नियमों या किसी अन्य नियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, आवास का मानक किराया अन्तिम गणना की तिथि से प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति के बाद या जब कभी यह उचित समझे लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) द्वारा पुनः परिकलित किया जा सकता है ।

सरकार को भेंट किए गए आवास का मानक किराया।

**37.** सरकार को भेंट किए गए, या सरकार को नाममात्र किराये पर या किराया मुक्त आधार पर निर्मोचित आवास की दशा में, मानक किराया वही होगा जो सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन आवास की दशा में है।

लघु परिवर्धन तथा परिवर्तन का बहिष्करण।

**38.** इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, जब किसी आवास का मानक किराया परिकलित किया गया है, तो लघु परिवर्धन तथा परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन आवास में किराये वृद्धि किए बिना किया जा सकता हैः—

(i) ऐसे परिवर्धन तथा परिवर्तन की कुल लागत पूंजीगत लागत से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जिस पर मानक किराया अन्तिम बार परिकलित किया गया था; तथा

(ii) ऐसे परिवर्धन तथा परिवर्तन मानक किराये की अन्तिम गणना के बाद पांच वर्ष के भीतर किया जाएगा।

आवंटिती के अनुरोध पर किए गए परिवर्धन या परिवर्तन की अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस।

**39.** जहां कोई परिवर्धन या परिवर्तन किसी अधिकारी के विशिष्ट अनुरोध पर किया गया है जिसको आवास आवंटित किया गया है, अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस, यदि आवश्यक हो, उससे प्रभारित की जा सकती है।

किराये की बढोतरी के बारे में समय पर सूचना।

**40.** किराये में वृद्धि बारे सम्बन्धित किरायेदार को समय पर नोटिस देने की ड्यूटी आवास आवंटित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी या कार्यकारी अभियन्ता की है। तथापि, किसी भी दशा में, ऐसी सूचना देने के लिए उसके भाग पर चूक उस तिथि से बाद की तिथि से, जिसको यह उपरोक्त नियमों के अधीन देय है, प्रभावी होने वाले किराये की वृद्धि के लिए कारण नहीं बनेगा।

अस्थायी किराये की वसूली।

**41.** यदि कोई भवन वास्तव में उसके निर्माण, अर्जन या सज्जा पर खर्च के लेखों को बन्द करने से पूर्व अधिकृत किया गया है, तो किराया फिर भी अधिवास की तिथि से प्रभारयोग्य है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अस्थायी रूप से नियत किया जाएगा। जब लेखे खुले हों, इस प्रकार अस्थायी रूप से नियत किराया, भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षण के अध्यधीन है और जब वे बन्द हैं तो इस लेखे में किराये की कोई भी छूट सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सिवाए नहीं दी जा सकती।

किरायेदारी की शर्तें तथा सरकारी कर्मचारी द्वारा भुगतानयोग्य किराया।

**42.** जब सरकारी कर्मचारी को पट्टा आवास या सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन आवास आवंटित किया जाता है, तो निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगाः—

(क) सरकारी कर्मचारी के अपने निवेदन के सिवाए आवंटित आवास स्केल, उस स्केल से अधिक नहीं होगा जो अधिभोगी के लिए उपयुक्त है;

(ख) जब तक नियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, वह निर्धारित दर से अनुज्ञप्ति फीस या इन नियमों में यथा उपबन्धित मानक किराया, जो भी कम हो, भुगतान करेगा;

(ग) यदि कोई सरकारी कर्मचारी आवास की उच्चतर किस्म के लिए हकदार है किन्तु उसे उसकी हकदारी से नीचे की किस्म का आवास आवंटित किया गया है या ऐसे मकान में रह रहा है, तो किराया आवास की उस किस्म के लिए निकाले गये अधिकतम किराये से अधिक वसूल नहीं किया जाएगा।

(घ) सरकारी कर्मचारी मकान या सम्पत्ति कर के स्वरूप में आवास के सम्बन्ध में सरकार द्वारा भुगतानयोग्य कोई नगरपालिका तथा अन्य करों के लिए दायी नहीं होगा।

(ङ) सरकारी कर्मचारी जिसको आवास आवंटित है, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट न दी जाए आवास के अधियोग की अवधि के दौरान इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति फीस/किराये की वसूली सुनिश्चित करने के लिए स्वयं जिम्मेवार है।

(च) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी से उच्चतर दर पर अनुज्ञप्ति फीस वसूल करने के लिए निर्देश दे सकता है किन्तु वह उसके मासिक परिलाभों के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

सरकारी आवास की हकदारी।

**43.** सरकारी कर्मचारी को सरकारी आवास की विभिन्न किस्मों की हकदारी नीचे दिए गए वेतन सीमा के अनुसार अवधारित की जाएगी:–

| मकान की किस्म | कुल क्षेत्र | कुरसी क्षेत्र | हकदारी की वेतन सीमा (वेतन बैण्ड जमा ग्रेड वेतन में वेतन) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 125 वर्ग गज | 350 वर्ग फुट + 5 प्रतिशत | 12,900 रुपये तक, 30 प्रतिशत मकान ग्रुप–घ कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे। |
| II | 140 वर्ग गज | 440 वर्ग फुट + 5 प्रतिशत | 12,901 रुपये से 17,100 रुपये |
| III | 190 वर्ग गज | 600 वर्ग फुट + 5 प्रतिशत | 17,101 रुपये से 21,000 रुपये |
| IV | 360 वर्ग गज | 770 वर्ग फुट + 5 प्रतिशत | 21,001 रुपये से 37,400 रुपये |
| V | 500 वर्ग गज (1 कनाल ) | 1220 वर्ग फुट + 200 वर्ग फुट गैरेज के रूप में | 37,401 रुपये तथा से अधिक |

**टिप्पण.–** वास्तविक कुल क्षेत्र तथा कुरसी क्षेत्र एक से दूसरे क्षेत्र का किसी भी कारण से भिन्न हो सकता है।

किराया निःशुल्क आवास तथा अनुज्ञप्ति फीस/किराये की राशि माफ या कम करना।

**44.** (1) विशेष परिस्थितियों में, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों हेतु, प्रशासकीय विभाग साधारण या विशेष आदेश द्वारा–

(क) किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों के वर्ग को किराया निःशुल्क आवास दे सकता है; या

(ख) किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों के वर्ग से वसूल किए जाने वाले किराये की राशि माफ या कम कर सकता है।

**टिप्पण 1.–** सरकारी कर्मचारियों की सूची जो इन नियमों के अधीन किराया निःशुल्क आवास के हकदार है; इस नियम के अनुबन्ध में दी गई है।

**टिप्पण 2.–** सरकारी कर्मचारी किराया निःशुल्क आवास का हकदार है तथा उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है; तो उसे तैनाती के स्थान की दर के अनुसार मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाएगा।

(2) किराया निःशुल्क आवास की रियायत के साथ जलपूर्ति, विद्युत ऊर्जा तथा अतिरिक्त सुविधाएं, मुफ्त में नहीं होंगी, इनकी लागत स्वयं सरकारी कर्मचारी द्वारा अदा की जाएगी। जल तथा बिजली मीटर के किराये का भुगतान भी सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।

## अनुबन्ध

*(देखिए नियम 44)*

**किराया निःशुल्क आवास के हकदार सरकारी कर्मचारियों की सूची नीचे दी गई है। नीचे तालिका के खाना 3 में वर्णित सरकारी कर्मचारी, खाना 4 में दी गई शर्तो, यदि कोई हों, के अध्यधीन किराया निःशुल्क आवास के हकदार हैं:–**

| क्रम संख्या | विभाग | सरकारी कर्मचारियों के पदनाम | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | वन | (1) वनपाल<br>(2) उप वनपाल<br>(3) वनसंरक्षक<br>(4) वनरक्षक<br>(5) सेवादार, माली तथा चौकीदार | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन उपलब्ध हैं, अन्यथा सामान्य मकान किराया भत्ता |
| **2** | राज्यपाल भवन | राजभवन में नियोजित अमला | राजभवन में अधिभोग में स्टाफ क्वार्टर तथा राजभवन से सम्बन्ध अन्य भवन |
| **3** | जिला प्रशासन का अमला | तहसीलदार, नायब तहसीलदार या अन्य तहसील कर्मचारी | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन उपलब्ध हैं, अन्यथा सामान्य मकान किराया भत्ता |
| **4** | जेल | (1) अधीक्षक<br>(2) उप अधीक्षक/जिला परिवीक्षा अधिकारी<br>(3) सहायक अधीक्षक/कल्याण अधिकारी<br>(4) उप सहायक अधीक्षक<br>(5) सम्पूर्ण कालिक चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीनस्थ<br>(6) वारडर अमला<br>(7) भण्डारी<br>(8) सुधारक विद्यालय का अमला | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन उपलब्ध हैं, अन्यथा सामान्य मकान किराया भत्ता<br>**टिप्पण.–** जेलों में नियोजित लिपिकों (लेखा शाखा में नियोजित लिपिकों से भिन्न) जो जेल परिसर में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए क्वार्टरों में रहने के लिए लोक सेवा के हित में उनके अधीक्षकों द्वारा अपेक्षित हैं, को किराये के भुगतान से छूट प्राप्त है। |
| 5 | **पुलिस**<br>(i) निर्देशन तथा प्रशासन | सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक | किराया निःशुल्क आवास |
| | (ii) जिला कार्यकारी बल, पुलिस रेडियो स्टाफ, हरियाणा सशस्त्र पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस तथा आपराधिक जाँच विभाग | (1) सभी जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक<br>(2) जिले/रेलवे के सभी उप पुलिस अधीक्षक<br>(3) सहायक या उप पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे की पदवी के सभी पुलिस अधिकारी | किराया निःशुल्क आवास |
| | (iii) हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन | (1) हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में प्रशिक्षण के अधीन अविवाहित परिवीक्षा सहायक अधीक्षक | अधिकारी मैस में किराया निःशुल्क आवास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (2) प्रधानाचार्य, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन<br>(3) प्रशिक्षण प्रभारी उप अधीक्षक, मधुबन<br>(4) सहायक या उप पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे की पदवी के सभी पुलिस अधिकारी<br>(5) अधिकारी मैस के कुक (रसोइया) | किराया निःशुल्क आवास, यदि उपलब्ध है |
| | (iv) राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, मधुबन | उप पुलिस अधीक्षक | किराया निःशुल्क आवास, यदि उपलब्ध है। |
| | (v) पुलिस प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, भौंडसी | (1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, भौंडसी<br>(2) पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, भौड़सी<br>(3) पुलिस अधीक्षक/भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र, भौंडसी<br>(4) सहायक या उप पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे की पदवी के सभी पुलिस अधिकारी<br>(5) अधिकारी मैस के कुक (रसोइया) | किराया निःशुल्क आवास, यदि उपलब्ध है। |
| 6 | **शिक्षा** | (1) पुरुष तथा महिला सरकारी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य/उप– प्रधानाचार्य/प्राध्यापक<br>(2) सरकारी महाविद्यालायों के शैक्षिक कर्मचारी<br>(3) सरकारी शैक्षिक सस्थाओं के छात्रावास के अधीक्षक/वार्डन | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन उपलब्ध हैं, अन्यथा सामान्य मकान किराया भत्ता। |
| 7 | **स्वास्थ्य** | (1) आवासी नियुक्ति धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्गः–<br>(i) अस्पतालों, औषधालयों, जेलों, सुधारक व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी चिकित्सा अधिकारी<br>(ii) ग्रामीण परिवार कल्याण योजना केन्द्र/शहरी परिवार कल्याण योजना केन्द्र तथा पोस्ट मारटम (शव–परीक्षा) केन्द्रों के सभी चिकित्सा अधिकारी<br>(iii) अस्पतालों तथा औषधालयों में नियोजित सभी फार्मासिस्ट तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन में उपलब्ध हैं, अन्यथा साधारण मकान किराया भत्ता। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (2) नर्सिंग अमला (नसिंग अधीक्षक, मैट्रीन सिस्टर, टयूटर, नर्सिंग सिस्टर तथा स्टाफ नर्स) | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन उपलब्ध हैं, अन्यथा सामान्य मकान किराया भत्ता। |
| | | (3) परिवार कल्याण विस्तार शिक्षक तथा परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यकर्ता | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन में उपलब्ध हैं, अन्यथा साधारण मकान किराया भत्ता |
| 8 | **पशुपालन**<br>(i) राजकीय पशुपालन फार्म, हिसार | (1) अधीक्षक / उप अधीक्षक<br>(2) पशु शैल्य चिकित्सक<br>(3) कृषि विकास अधिकारी<br>(4) कनिष्ठ अभियन्ता, तथा<br>(5) अन्य कर्मचारी–पशुचिकित्सा कम्पाऊडर, बीड़ दरोगा, पशुचिकित्सा के पशुधन विकास सहायक (वी.एल.डी.ए.), जमादार, हैडग्वाला, मिल्क रिकार्डर, डैरी अटैन्डैन्ड, वरिष्ठ भेड़ पालक, भेड़ पालक, स्वीपर, ग्वाला, वाचमैन, चौकीदार, शैड क्लीनर, साईस, बेलदार / हलवाहा | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन उपलब्ध हैं, अन्यथा सामान्य मकान किराया भत्ता। |
| | (ii) सिविल पशुचिकित्सालय / पशुचिकित्सालय अमला | (1) पशु शैल्य चिकित्सा<br>(2) वैटरनरी कम्पाऊडर,<br>(3) ग्रुप घ कर्मचारी अर्थात् ड्रैसर, जल वाहक, स्वीपर तथा चौकीदार | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन उपलब्ध हैं, अन्यथा सामान्य मकान किराया भत्ता। |
| 9 | **सिंचाई विभाग** | (1) संकेतक<br>(2) विश्राम गृहों के परिसरों में रहने वाले चौकीदार तथा स्वीपर | किराया निःशुल्क आवास, यदि विभाग द्वारा निर्मित भवन उपलब्ध हैं, अन्यथा सामान्य मकान किराया भत्ता। |
| 10 | **तकनीकी शिक्षा विभाग** | छात्रावास अधीक्षक | राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थाओं के छात्रावास अधीक्षकों को किराया–निःशुल्क आवास, जहां–कहीं आवासीय सुविधाएं संस्थाओं के कैम्पस में उपलब्ध हैं। |

अतिरिक्त सुविधाओं हेतु अतिरिक्त किराये की वसूली।

**45.** (क) जहां अतिरिक्त सुविधाएं जैसे फर्नीचर, एल सी डी, रैफरीजरेटर, गीजर इत्यादि सरकारी खर्च पर सरकारी कर्मचारी को आवंटित आवास में उपलब्ध करवाई गई है; तो अतिरिक्त किराया इन सुविधाओं के लिए निम्न अनुसार प्रभारित किया जाएगाः–

(i) वस्तु (वस्तुओं) की कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर से वार्षिक किराया;

(ii) किराया मासिक रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा तथा वार्षिक किराये का 1/12 होगा।

(ख) यदि आवास में जल तथ बिजली कनैक्शन उपलब्ध कराया गया है, तो सरकारी कर्मचारी ऐसी सेवाओं के लिए प्रभारों का भुगतान करेगा जो सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा प्रभारित किए जा रहे हैं।

सरकारी आवास की सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के लिए सामान्य नियम।

**46.** (1) आवंटित आवास के लिए सामान्य दर पर अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती से कब्जे की तिथि से प्रभारित की जाएगी। आबंटन प्रक्रिया आबंटिती द्वारा आवास का कब्जा लेने बाद पूरी हुई समझी जाएगी।

(2) सरकारी आवास की आवंटन की अवधि, विभिन्न स्थितियों जैसे स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से पदच्यूति / हटाये जाने / आवास का रद्दकरण / सुपुर्दगी इत्यादि के कारण आवंटित आवास रखने के लिए अपात्र होने तक की तिथि से अवधारित की जाएगी।

(3) सरकारी कर्मचारी किन्हीं भी परिस्थितियों में उसको आवंटित आवास को उप किराये पर देना अनुमत नहीं होगा।

**47.** सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों में सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर सरकारी आवास रखने का हकदार होगाः— विभिन्न परिस्थितियों में सरकारी आवास रखना।

| क्रम संख्या | निम्नलिखित घटनाओं के बाद | आवास को रखने के लिए अनुज्ञेय रियायत अवधि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | त्यागपत्र, पदच्यूति, सेवा से हटाए जाने या समाप्ति या अनुमति के बिना अप्राधिकृत अनुपस्थिति | दो मास |
| 2 | सेवानिवृत्ति | छः मास |
| 3 | सेवा के समय मृत्यु या गायब होने | बारह मास |
| 4 | अन्य स्थान पर स्थानान्तरण | आवास आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन 2 मास; तथा स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा आधार पर; या कर्मचारी के बालकों की शिक्षा के आधार पर आगे दो मास |
| 5 | भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति | छः मास की अवधि हेतु |
| 6 | प्रशिक्षण पर जाने हेतु | प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि हेतु |

**टिप्पण 1.–** जहां आवास रखा गया है, आवंटन अनुज्ञेय रियायत अवधि की समाप्ति पर रद्द समझा जाएगा तथा दण्डित किराया नियम 48 के प्रावधान अनुसार वसूल किया जाएगा।

**टिप्पण 2.–** किराया निःशुल्क आवास का उपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारी रियायत अवधि के लिए किराया निःशुल्क आवास रखने के लिए अनुज्ञात होंगे।

**48.** सरकारी आवास में प्राधिकृत अवधि से अधिक ठहराव के मामले में दण्डित किराया निम्नलिखित दर पर प्रभारित होगा :— प्राधिकृत अवधि से अधिक ठहराव पर दण्डित किराया।

| क्रम संख्या | अधिक ठहराव की अवधि | साधारण अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त दण्डित किराए की दर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रथम मास तक अधिक ठहराव | साधारण अनुज्ञप्ति फीस की 50 गुणा राशि |
| 2 | एक मास से अधिक दो मास तक अधिक ठहराव | साधारण अनुज्ञप्ति फीस की 100 गुणा राशि |
| 3 | दो मास से अधिक तथा तीन मास तक अधिक ठहराव | साधारण अनुज्ञप्ति फीस की 200 गुणा राशि |
| 4 | चार मास या उससे अधिक के लिए अधिक ठहराव | साधारण अनुज्ञप्ति फीस की 300 गुणा राशि |

निर्धारित अवधि तक यदि सरकारी आवास खाली नहीं किया जाता तो उपरोक्त के अतिरिक्त, हरियाणा लोक परिसर तथा भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1972 के अधीन कार्रवाई भी प्रारम्भ की जाएगी ।

**49.** (1) सरकारी आवास को उप किराये पर देने के लिए, सरकारी कर्मचारी प्रथम तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति फीस की 500 गुणा राशि के समकक्ष, या समय पर यथा विहित तथा उसके बाद बाजार किराये का पांच गुणा या समय–समय पर यथा विहित, या अनुज्ञप्ति फीस का 500 गुणा, जो भी उच्चतर हो, जो समिति द्वारा नियत किया जाए, शास्ति किराये के भुगतान करने का दायी होगा। सरकारी आवास को उप किराये पर देने के लिए शास्ति किराया तथा बाजार किराया।

(2) वह पांच वर्ष की अवधि के लिए भविष्य में सरकारी आवास प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा तथा इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी–

(क) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016; तथा

(ख) हरियाणा लोक परिसर तथा भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1972.

**********

## अध्याय–V

## मानदेय तथा फीस

मानदेय देना।

**50.** इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, सक्षम प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को किए गए कार्य, जो विरल या आन्तरायिक स्वरूप के हों, या तो इतना मेहनती या ऐसे विशेष गुण का है, जो उसके लिए विशेष पुरस्कार देना उचित सिद्ध करता है, के लिए पारिश्रमिक के रूप मानेदय प्रदान कर सकता है या मानदेय प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। मानदेय देने या स्वीकृति की मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कार्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति से नहीं किया गया हो।

**टिप्पण 1.–** प्रशासकीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत को क्रमशः 10,000/– रुपये तथा 2,000/– रुपये तक मानदेय देने के लिए सक्षम है।

**टिप्पण 2.–** हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के सम्बन्ध में परीक्षकों, पर्यवेक्षकों या निरीक्षकों के रूप में नियुक्त सरकारी कर्मचारी की दशा में वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में 5,000 रुपये तक मानदेय देने के लिए सक्षम हैं।

अन्य विभाग के कर्मचारी को मानदेय देना।

**51.** इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, जहां मानदेय सरकारी कर्मचारी के मूल विभाग से भिन्न विभाग द्वारा प्रदान किया जाना है, तो मानदेय देने तथा स्वीकृति की मंजूरी सरकारी कर्मचारी के मूल विभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद मानदेय देने वाले विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी।

**अपवाद.–** सरकारी कर्मचारी मूल विभाग के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना निम्नलिखित सम्बन्धित कार्य के लिए किसी राशि तक पारिश्रमिक स्वीकार कर सकता है:–

(i) संघ/राज्य लोक सेवा आयोग, संघ/राज्य विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा; तथा

(ii) निर्वाचन ड्यूटी तथा भारतीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया।

मानदेय स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेवारी।

**52.** (1) मंजूर प्राधिकारी अभिलिखित करेगा कि इन नियमों में प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्तों पर उचित ध्यान दिया गया है तथा ऐसे कारण भी जो उसकी राय में अतिरिक्त परिश्रमिक देने को उचित सिद्ध करते हैं।

(2) मानदेय देने को सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक नियन्त्रित किया जाएगा तथा लेखा–परीक्षा द्वारा संवीक्षा की जाएगी तथा कि लेखा–परीक्षा को टिप्पणी, यदि वह आवश्यक समझे, के लिए प्रभावी अवसर दिया जाएगा। इसलिए, प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी) अपेक्षा कर सकता है कि मानदेय देने के लिए कारण प्रत्येक मामले में उसको सूचित करने चाहिए।

**टिप्पण.–** कोई भी मानदेय कम्पनियों, निगमों इत्यादि की स्थापना करने के सम्बन्ध में कार्य पर लगे राजपत्रित अधिकारियों को नहीं दिया जाएगा जो उनकी सामान्य ड्यूटियों का भाग रूप बनती हैं यदि वे कार्यालय समय से अधिक समय के लिए कार्य करते हैं।

सामान्य ड्यूटी की सेवा के लिए कोई मानदेय नहीं।

**53.** जब ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा सामान्य ड्यूटियों के अनुक्रम में आती है तो, नियम 50 में विहित विशेष मैरिट की जांच लागू होगी।

**टिप्पण.–** किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा को उस सरकारी कर्मचारी की 'ड्यूटी के अनुक्रम में' कहा जाना है, जब यह उसी स्वरूप की है जिसके लिए उसका नियमित नियोजन अस्तित्व में है। जांच जो अवधारण के लिए किसी विशेष मामले का निर्णय करने में लागू की गई है कि क्या दी गई सेवा ऐसी है जो सरकारी कर्मचारी अपनी सामान्य ड्यूटियों के अनुक्रम में प्रायः करता है। किसी भी सेवा को उसका कर्मचारी की साधारण कार्यवाई से सम्बन्ध न होने या उसमें श्रम का असाधारण खर्च भी शामिल हाने पर सरकारी कर्मचारी की ड्यूटियों के अनुक्रम से बाहर नहीं किया जाता, क्योंकि यह लक्ष्य के लिए अर्पित की जाती है।

फीस स्वीकार करने की अनुमति।

**54.** सक्षम प्राधिकारी संगठन के लिए विनिर्दिष्ट सेवा या सेवा की श्रृंखला करने के लिए पारिश्रामिक के रूप में आवर्ती या अनावर्ती फीस स्वीकार करने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को अनुमति दे सकता है, बशर्ते यह सामान्य ड्यूटी के अनुक्रम में नहीं आती हों तथा न ही उसकी कार्यालय ड्यूटियों या जिम्मेवारियों के लिए हानिकारक है।

**टिप्पण 1.–** निम्नलिखित प्राधिकारी वित्त वर्ष के दौरान फीस की स्वीकृति मंजूर करने के लिए सक्षम हैः–

| | |
|---|---|
| प्रशासकीय विभाग | प्रत्येक व्यक्तिगत मामलों में वर्ष के दौरान 25,000/– रूपए तक |
| विभागाध्यक्ष | प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में वर्ष के दौरान 10,000/– रुपये तक |

**टिप्पण 2.–** कतिपय संगठनों के अध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशकों तथा निदेशक बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामांकित अधिकारियों से संलग्न निजी सहायक/निजी सचिवों/आशुलिपिकों इत्यादि को संगठनों से कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुज्ञान नहीं किया जाएगा, जब अधिकारी, जिसके साथ वे लगे हुए हैं, को उसके सामान्य कृत्यों के भाग रूप में संगठनों के निदेशक बोर्ड की ड्यूटियां आवंटित की गई हैं।

**55.** जब सरकारी कर्मचारी को साक्ष्य या गवाह के रूप में उसकी विशेष निपुणता की दृष्टि में या हस्तलेख की पहचान, उंगली निशान इत्यादि के लिए विशेषज्ञ राय देने के लिए न्यायालय द्वारा सम्मन किया गया है, यदि उसे निम्नलिखित की कहने पर सम्मन किया गया है– फीस की स्वीकृति जब न्यायालय द्वारा सम्मन किए गए है।

(क) सरकार; उसे ड्यूटी पर समझा जाएगा तथा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाएगा;

(ख) निजी व्यक्ति या पक्षकार, न्यायालय में ऐसी उपस्थिति को विशेषज्ञ साक्ष्य के स्वरूप के निजी व्यवसाय के रूप में माना जाएगा, तथा अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से न्यायालय द्वारा विहित फीस स्वीकार कर सकता है। अधिकारी को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान निजी व्यक्ति/पक्षकार जिसकी प्रेरणा पर उसे सम्मन किया गया हो द्वारा किया जाएगा।

**56.** इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सरकारी कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, एक वर्ष के दौरान 8,000/– रुपये तक उस द्वारा प्राप्त पूर्ण फीस (आवर्ती तथा अनावर्ती अलग–अलग) रख सकता हैं। जहां फीस 8,000/– रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तो प्राप्त की गई फीस का 1/3 इस शर्त के अध्यधीन समेकित निधि में जमा करवाई जाएगी कि सरकारी कर्मचारी द्वारा रखी गई फीस 8,000/– रुपये से कम नहीं है। 8,000/– रुपये की सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में लागू होगी, यदि फीस अनावर्ती स्वरूप की प्राप्त की गई है तथा आवर्ती स्वरूप के मामले में, सीमा एक वित्त वर्ष में प्राप्त कुल फीस पर लागू होनी चाहिएः सरकारी कर्मचारी द्वारा फीस रखना।

परन्तु जहां फीस ऐसे समय के दौरान किए गए कार्य के लिए भुगतान की गई है जो अन्यथा कार्यालय ड्यूटियों को करने में लगाया जाना होता, तो सम्पूर्ण फीस सरकार के पास जमा करानी चाहिए, जब तक सक्षम प्राधिकारी, विशेष कारणों से जो कि अभिलिखित किए जायेंगे, अन्यथा निर्देश न करे ।

**टिप्पण 1.–** फीस में सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त वाहन भत्ता, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

**टिप्पण 2.–** विधि न्यायालय के सम्मुख तकनीकी मामलों में विशेषज्ञ साक्ष्य देने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त फीस भी इस नियम द्वारा शास्ति होंगी।

**57.** (1) निम्नलिखित संस्थाओं से सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई फीस को इन नियमों के प्रचलन से छूट प्राप्त है, बशर्तें उनके लिए कार्य ऐसे समय के दौरान किया गया है, जो अन्यथा कार्यालय ड्यूटियों को करने मे खर्च नहीं होताः– संचित निधि में एक तिहाई राशि को जमा करने से छूट।

1. पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए सोसाइटी;
2. भारतीय सड़क कांग्रेस;

3. भारतीय पशु प्रदर्शनी समिति;

4. अन्तर–विश्वविद्यालय बोर्ड;

5. भारतीय रैड क्रास सोसाइटी;

6. भारत गुप्तचर और पथपदर्शक हरियाणा (छूट) जो केवल लिपिकीय कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस से सम्बन्धित हैं;

7. बालक क्रियाकलाप केन्द्र;

8. भारत सेवक समाज।

(2) सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त निम्नलिखित आय राज्य की समेकित निधि में राशि का एक–तिहाई जमा करने के लिए अध्यधीन नहीं है, अर्थातः–

(क) अन्तर्राष्ट्रीय निकाय जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन इत्यादि के लिए चयनित विषय पर लिखने या रिपोर्ट, निबन्ध या अध्ययन रिपोर्ट;

(ख) वैधानिक निकाय से प्राप्त फीस जैसे चार्टर्ड अकाऊंटैन्ट संस्था तथा हरियाणा लोक प्रशासन संस्था;

(ग) जब कोई सरकारी विभाग अपनी बारी में गैर–सरकारी संगठन के लिए कार्य करता है, प्रयोजन के लिए उपयुक्त कर्मचारियों का कार्य दिया जाता है तथा उनको सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर भुगतान किया जाता है;

(घ) प्रबन्धन विज्ञान सहित साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकों, वस्तुओं, निबन्धों तथा लैक्चर से आय;

(ङ) टीम के खिलाड़ी, रैफरी, एम्पायरों या प्रबन्धकों के रूप में खेलों, क्रीड़ाओं तथा एथलैटिक गतिविधियों में अनिवार्य भागीदारी से आय;

(च) सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त उपलब्धि के पेटन्ट के उपयोग से प्राप्त राशि।

**अपवाद.–** यदि किसी सरकारी कर्मचारी को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए अनुमत किया गया है तथा व्यवसायी के रूप में भुगतान स्वीकार करता है, तो उससे प्राप्त आय इन नियमों के अधीन कटौती के अध्यधीन जारी रहेगी।

परीक्षा से सम्बन्धित कार्य के लिए फीस।

**58.** सरकारी कर्मचारी जो विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्ड या किसी संस्था के सम्बन्ध में परीक्षा तथा पेपर तैयार करने का कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं या पर्यवेक्षक/निरीक्षक इत्यादि के रूप में प्रतिनियुक्त है, किसी राशि तक उसके लिए पारिश्रमिक स्वीकार कर सकता हैंः

परन्तु कार्य ड्यूटी के सामान्य समय से बाहर किया गया है। ऐसे मामलों में कर्मचारी सरकार को कोई राशि जमा किए बिना एक वित्त वर्ष में 8,000/– रुपये की अधिकतम राशि रख सकता है। एक वित्त वर्ष में 8,000/– रुपये से अधिक फीस सरकारी कर्मचारी तथा सरकार के बीच 2:1 के अनुपात में बांटा जाएगा अर्थात् इस सीमा से अधिक राशि का एक तिहाई सरकार के खाते में जमा करवाया जाएगा।

**टिप्पण.–** यह उपबन्ध लागू नहीं होगा जब फीस हरियाणा सरकार के अधीन किसी विश्वविद्यालय के परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई हैं। उनके मामले में फीस के बंटवारे के सम्बन्ध में आदेश केवल विश्वविद्यालयों तथा निकायों के बाहर के परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए उन द्वारा प्राप्त फीस पर लागू होगा।

**59.** संविदा के सम्बन्ध में संविदाकारों तथा सरकारी विभाग/अभिकरण के बीच उत्पन्न विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त फीस सरकार, उस सम्बन्ध में नियोजित अधिकारी तथा अमले के बीच निम्नानुसार बांटी जाएगीः– मध्यस्थ के रूप में फीस।

| | |
|---|---|
| सरकार | 35 प्रतिशत |
| सरकारी अधिकारी | 55 प्रतिशत |
| अमला (नियोजित लिपिकवर्गीय) | 10 प्रतिशत |

यदि कोई अमला नियोजित नहीं किया है, तो फीस निम्न अनुसार बांटी जाएगीः

| | |
|---|---|
| सरकार | 40 प्रतिशत |
| सरकारी अधिकारी | 60 प्रतिशत |

**टिप्पण.–** तथापि, किसी भी सरकारी अधिकारी को सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी एक मध्यस्थता में 1,500/– रुपये (केवल एक हजार तथा पांच सौ रुपये) से अधिक प्राप्त करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**60.** व्यावसयिक या तकनीकी विषयों में अध्ययन पाठ्यक्रम जारी रखने या विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए भारत या राज्य की समेकित निधि से अन्यथा स्रोत से किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अध्ययन अवकाश के दौरान या अन्यथा प्राप्त कोई छात्रवृत्ति या वजीफा विहित राशि के अतिरिक्त एक तिहायी भाग जमा कराने के अध्यधीन नहीं होगा। तथापि, यह उपबन्ध निरन्तर लागू होगा जब तक किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए पूर्णकालिक या अंशकालिक नियोजन के परिणाम के रूप में उस द्वारा प्राप्त भुगतानों के लिए विशेष रूप से छूट नहीं दी गई है; अध्ययन अवकाश के दौरान छात्रवृत्ति या कोई अन्य आय।

**61.** इन नियमों में दिए गए फीस शब्द में निम्नलिखित आय शामिल नहीं है तथा इसलिए, कोई विशेष स्वीकृति आवश्यक नहीं हैः– आय जो फीस के अधीन नहीं आती है।

(क) अनर्जित आय, जैसे सम्पत्ति से आय, लाभांश तथा प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय; तथा

(ख) साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक प्रयासों से आय।

***अपवाद.–*** *निम्नलिखित से आय की स्वीकृति फीस के रूप में समझी जाएगीः–*

(i) पुस्तक के विक्रय आगम या राजशुल्क जो केवल सरकारी नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियों का संकलन हैं;

(ii) साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ या खेल गतिविधियों में लगे व्यक्तियों सहित निजी निकायों के लिए लिपिकीय, प्रशासकीय या तकनीकी कार्य करने से प्राप्त आय।

**62.** सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, सरकारी कर्मचाारी विशेष अनुमति के बिना निम्नलिखित के लिए कोई इनाम प्राप्त करने तथा रखने के लिए पात्र है– किसी इनाम की राशि को रखना।

(क) सार्वजनिक प्रतियोगिता में निबन्ध या प्लान हेतु;

(ख) न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में अपराधी की गिरफ्तारी के लिए या सूचना या विशेष सेवा के लिए प्रस्तावित;

(ग) किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबन्धों के अनुसार भुगतानयोग्य;

(घ) सीमाशुल्क तथा आबकारी विधियों के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवाओं के लिए स्वीकृति;

तथा

(ड.) किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसी ड्यूटियों के लिए भुगतानयोग्य फीस जो उससें किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन या सरकार के आदेश द्वारा उसकी पदीय हैसियत में की जानी अपेक्षित हैं।

संगठन से फीस की अस्वीकृति।

**63.** कोई सरकारी कर्मचारी, जिसे उसकी पदीय हैसियत में, हरियाणा सरकार के नियन्त्रणाधीन संगठन के अध्यक्ष, प्रबन्धक निदेशक या सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है, कोई फीस या अन्य पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करेगा जो सम्बन्धित संस्था की बैठक में हाजिर होने के लिए या उसके अन्य कार्य करने के लिए गैर सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।

**********

अनुबन्ध 'क'

*(देखिए नियम 13)*

| दिनांक 01—01—1986 से लागू वेतनमानों के वेतन पर मंहगाई भत्ते की दरें | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | पत्र क्रमांक | दिनांक | लागू दिनांक | महंगाई भत्ता 3500 तक | महंगाई भत्ता 3501 से 6000 | महंगाई भत्ता 6001 से आगे |
| 1 | No. 4/1/87-3FR-II | 29.04.1987 | 01.01.1986 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2 | No. 4/1/87-3FR-II | 29.04.1987 | 01.07.1986 | 4% | 3% | 2% |
| 3 | No. 4/1/87-3FR-II | 29.04.1987 | 01.01.1987 | 8% | 6% | 5% |
| 4 | No. 4/1/87-3FR-II/3041 | 01.03.1988 | 01.07.1987. | 13% | 9% | 8% |
| 5 | No. 4/1/87-3FR-II/1451 | 01.06.1988 | 01.01.1988 | 18% | 13% | 11% |
| 6 | No. 4/1/87-3FR-II/4472 | 03.11.1988 | 01.07.1988 | 23% | 17% | 15% |
| 7 | No. 4/1/87/3FR-II/1164 | 08.06.1989 | 01.01.1989 | 29% | 22% | 19% |
| 8 | No. 4/1/87/3FR-II/2236 | 29.09.1989 | 01.07.1988 | 34% | 25% | 22% |
| 9 | No. 4/1/90/3FR-II/735 | 04.04.1990 | 01.01.1990 | 38% | 28% | 25% |
| 10 | No. 4/1/90-3FR-II/2449 | 11.10.1990 | 01.07.1990 | 43% | 32% | 28% |
| 11 | No. 4/84/91-3FR-II/897 | 04.04.1991 | 01.01.1991 | 51% | 38% | 33% |
| 12 | No. 4/84/91-3FR-II/1517 (Substituted) | 14.05.1992 | 01.07.1991 | 45% | 45% | 39% |
| 13 | No. 4/84/91-3FR-II/1517 (Substituted) | 14.05.1992 | 01.01.1992 | 71% | 53% | 46% |
| 14 | No. 4/19/92-1FR-II/2963 | 06.11.1992 | 01.07.1992 | 83% | 62% | 54% |
| 15 | No. 4/5/93-1FR-II/885 | 01.06.1993 | 01.01.1993 | 92% | 69% | 59% |
| 16 | No. 4/5/93-1FR-II/2250 | 16.11.1993 | 01.07.1993 | 97% | 73% | 63% |
| 17 | No. 4/1/94-1FR-II/699 | 17.05.1994 | 01.01.1994 | 104% | 78% | 67% |
| 18 | No. 4/1/94-1FR-II/3279 | 10.11.1994 | 01.07.1994 | 114% | 85% | 74% |
| 19 | No. 4/4/95-1FR-II/636 | 28.04.1995 | 01.01.1995 | 125% | 94% | 81% |
| 20 | No. 4/4/95-1FR-II/1890 | 26.10.1995 | 01.07.1995 | 136% | 102% | 88% |
| 21 | No. 4/3/96-1FR-II/665 | 21.06.1996 | 01.01.1996 | 148% | 111% | 96% |
| 22 | No. 4/3/96-1FR-II/1971 | 31.10.1996 | 01.07.1996 | 159% | 119% | 103% |

| दिनांक 01–01–1986 से लागू वेतनमानों के वेतन पर मंहगाई भत्ते की दरें | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | पत्र क्रमांक | दिनांक | लागू दिनांक | महंगाई भत्ता 3500 तक | महंगाई भत्ता 3501 से 6000 | महंगाई भत्ता 6001 से आगे |
| 23 | No. 4/2/97-1FR-II/668 | 12.05.1997 | 01.01.1997 | 170% | 128% | 110% |
| 24 | No. 4/2/98-1FR-II | 19.01.1998 | 01.07.1997 | 182% | 136% | 118% |
| 25 | No. 4/2/98-1FR-II/572 | 13.05.1998 | 01.01.1998 | 189% | 142% | 123% |
| 26 | No. 4/2/98-1FR-II/1527 | 19.11.1998 | 01.07.1998 | 203% | 152% | 132% |
| 27 | No. 4/2/98-1FR-II/623 | 30.04.1999 | 01.01.1999 | 228% | 171% | 148% |
| 28 | No. 4/2/98-1FR-II/1943 | 06.10.1999 | 01.07.1999 | 240% | 180% | 156% |

*टिप्पण.– दिनांक 16–09–1993 से अन्तरिम राहत–1 रुपये 100 की दर से सभी कर्मचारियों के लिए व अन्तरिम राहत–2 दिनांक 01–04–1995 से मूल वेतन का 10 प्रतिशत की दर से कम से कम 100 रुपये।*

| दिनांक 01–01–1996 से लागू वेतनमानों के वेतन पर महंगाई भत्ता | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | पत्र क्रमांक | दिनांक | लागू दिनांक | दर | टिप्पणी |
| 29 | No. 4/1/98-1FR-II | 13.01.1998 | 01.01.1996 | शून्य | |
| 30 | No. 4/1/98-1FR-II | 13.01.1998 | 01.07.1996 | 4% | |
| 31 | No. 4/1/98-1FR-II | 13.01.1998 | 01.01.1997 | 8% | |
| 32 | No. 4/1/98-1FR-II | 13.01.1998 | 01.07.1997 | 13% | |
| 33 | No. 4/2/98-1FR-II/572 | 13.05.1998 | 01.01.1998 | 16% | |
| 34 | No. 4/2/98-1FR-II/527 | 19.11.1998 | 01.07.1998 | 22% | |
| 35 | No. 4/2/98-1FR-II/623 | 30.04.1999 | 01.01.1999 | 32% | |
| 36 | No. 4/2/98-1FR-II/1943 | 06.10.1999 | 01.07.1999 | 37% | |
| 37 | No. 4/2/98-1FR-II/654 | 23.06.2000 | 01.01.2000 | 38% | |
| 38 | No. 4/2/98-1FR-II/1804 | 22.12.2000 | 01.07.2000 | 41% | |
| 39 | No. 4/2/98-1FR-II/673 | 31.05.2001 | 01.01.2001 | 43% | |
| 40 | No. 4/2/98-1FR-II/1811 | 19.11.2001 | 01.07.2001 | 45% | |
| 41 | No. 4/2/98-1FR-II/639 | 16.05.2002 | 01.01.2002 | 49% | |
| 42 | No. 4/2/98-1FR-II/2031 | 11.12.2002 | 01.07.2002 | 52% | |
| 43 | No. 4/2/98-1FR/2558 | 05.05.2003 | 01.01.2003 | 55% | |
| 44 | No. 4/2/98-1FR/5705 | 04.11.2003 | 01.07.2003 | 59% | |
| 45 | No. 4/2/98-1FR/1289 | 18.05.2004 | 01.01.2004 | 61% | |
| 46 | No. 4/2/98-1FR/1289 | 18.05.2004 | 01.04.2004 | 11 % | 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता महंगाई वेतन में बदला गया |

| दिनांक 01–01–1996 से लागू वेतनमानों के वेतन पर महंगाई भत्ता | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | पत्र क्रमांक | दिनांक | लागू दिनांक | दर | टिप्पणी |
| 47 | No. 4/2/98-1FR/3243 | 04.11.2004 | 01.07.2004 | 14% | |
| 48 | No. 4/2/98-1FR/1400 | 03.05.2005 | 01.01.2005 | 17% | |
| 49 | No. 4/2/98-1FR/3808 | 27.10.2005 | 01.07.2005 | 21% | |
| 50 | No. 4/2/98-1FR/1544 | 24.04.2006 | 01.01.2006 | 24% | |
| 51 | No. 4/2/98-5FR/2807 | 27.09.2006 | 01.07.2006 | 29% | |
| 52 | No. 4/2/98-5FR/418 | 04.04.2007 | 01.01.2007 | 35% | |
| 53 | No. 4/2/98-5FR/1219 | 27.09.2007 | 01.07.2007 | 41% | |
| 54 | No. 4/2/98-5FR/1219 | 01.04.2008 | 01.01.2008 | 47% | |
| 55 | No. 4/2/98-5FR/18018 | 22.10.2008 | 01.07.2008 | 54% | |
| 56 | No. 4/1/2009-5FR/1167 | 10.04.2009 | 01.01.2009 | 64% | |
| 57 | No. 4/1/2009-5FR/1707 | 21.10.2009 | 01.07.2009 | 73% | |
| 58 | No. 4/1/2009-5FR/10146 | 27.04.2010 | 01.01.2010 | 87% | |
| 59 | No. 4/1/2009-5FR/27043 | 28.10.2010 | 01.07.2010 | 103% | |
| 60 | No. 4/1/2009-5FR | 02.05.2011 | 01.01.2011 | 115% | |
| 61 | No. 4/1/2009-5FR/454 | 09.11.2011 | 01.07.2011 | 127% | |
| 62 | No. 4/1/2009-5FR/371 | 21.05.2012 | 01.01.2012 | 139% | |
| 63 | No. 4/1/2009-5FR/23648 | 02.09.2013 | 01.07.2012 | 151% | |
| 64 | No. 4/1/2009-5FR/23648 | 02.09.2013 | 01.01.2013 | 166% | |
| 65 | No. 4/1/2009-5FR/30524 | 15.11.2013 | 01.07.2013 | 183% | |
| 66 | No. 4/1/2009-5FR | 17.04.2014 | 01.01.2014 | 200% | |
| 67 | No. 4/1/2009-5FR/26314 | 12.12.2014 | 01.07.2014 | 212% | |
| 68 | No. 4/1/2009-5FR/11090 | 04.06.2015 | 01.01.2015 | 223% | |
| 69 | No. 4/1/2009-5FR/32893 | 17.11.2015 | 01.07.2015 | 234% | |
| 70 | No. 4/1/2009-5FR/13392 | 31.05.2016 | 01.01.2016 | 245% | |

| दिनांक 01–01–2006 से लागू वेतनमानों के वेतन पर मंहगाई भत्ता | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | पत्र क्रमांक | दिनांक | लागू दिनांक | दर | टिप्पणी |
| 71 | No. 4/1/2009-5FR | 12.01.2009 | 01.01.2006 | शून्य | |
| 72 | No. 4/1/2009-5FR | 12.01.2009 | 01.07.2006 | 2% | |
| 73 | No. 4/1/2009-5FR | 12.01.2009 | 01.01.2007 | 6% | |
| 74 | No. 4/1/2009-5FR | 12.01.2009 | 01.07.2007 | 9% | |
| 75 | No. 4/1/2009-5FR | 12.01.2009 | 01.01.2008 | 12% | |
| 76 | No. 4/1/2009-5FR | 12.01.2009 | 01.07.2008 | 16% | |

| दिनांक 01–01–2006 से लागू वेतनमानों के वेतन पर मंहगाई भत्ता | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | पत्र क्रमांक | दिनांक | लागू दिनांक | दर | टिप्पणी |
| 77 | No. 4/1/2009-5FR/1167 | 10.04.2009 | 01.01.2009 | 22% | |
| 78 | No. 4/1/2009-5FR/1707 | 09.10.2009 | 01.07.2009 | 27% | |
| 79 | No. 4/1/2009-5FR | 12.04.2010 | 01.01.2010 | 35% | |
| 80 | No. 4/1/2009-5FR | 28.09.2010 | 01.07.2010 | 45% | |
| 81 | No. 4/1/2009-5FR | 04.04.2011 | 01.01.2011 | 51% | |
| 82 | No. 4/1/2009-5FR/404 | 10.10.2011 | 01.07.2011 | 58% | |
| 83 | No. 4/1/2009-5FR | 02.05.2012 | 01.01.2012 | 65% | |
| 84 | No. 4/1/2009-5FR/8659 | 10.10.2012 | 01.07.2012 | 72% | |
| 85 | No. 4/1/2009-5FR-12166 | 03.05.2013 | 01.01.2013 | 80% | |
| 86 | No.4/1/2009-5FR-27644 | 30.10.2013 | 01.07.2013 | 90% | |
| 87 | No. 4/1/2009-5FR/8343 | 15.04.2014 | 01.01.2014 | 100% | |
| 88 | No. 4/1/2009-5FR/23388 | 13.11.2014 | 01.07.2014 | 107% | |
| 89 | No. 4/1/2009-5FR/8555 | 05.05.2015 | 01.01.2015 | 113% | |
| 90 | No. 4/1/2009-5FR/22501 | 19.10.2015 | 01.07.2015 | 119% | |
| 91 | No. 4/1/2009-5FR/11058 | 20.04.2016 | 01.01.2016 | 125% | |

***********

संजीव कौशल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।